दिव्यांगजन

उत्तराखंड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः–   /XXX(2)/2018/30(05)/2014
देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 एवं तत्संबंधी समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए, भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49/ 2016) दिनांक 27.12.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/2018-30(05)2014 दिनांक 27.10.2017 एवं शासनादेश संख्या–112/XXX(2)/2018-30(05)2014 दिनांक 14.06.2018 के क्रम में राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन हेतु विकलांगता की श्रेणी हेतु निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में निम्नवत् प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ हैः–

1. **दिव्यांगजन हेतु आरक्षण की मात्राः–** दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भारत सरकार के अधिनियम, 2016 द्वारा निम्नलिखित श्रेणी a, श्रेणी b व श्रेणी c के लिए 1–1 प्रतिशत आरक्षण तथा श्रेणी d व श्रेणी e, दोनों के लिए कुल 1 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया हैः–

(a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता)

(b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना)

(c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है)

(d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग)

(e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है)

2.दिव्यांगजनों हेतु पदों का चिन्हांकनः–

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षित पदों के चिन्हांकन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/XXX (2)/18/30(05)/14 दिनांक 03.03.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित द्वारा संस्तुत समूह क, ख, ग एवं घ के पदों पर नियमानुसार लागू होगा।

3.दिव्यांगजन हेतु उपयुक्त पदों का चिन्हांकनः–

समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत दिव्यांगजन की विकलांगता के दृष्टिगत पदों को अधिसूचित किया जायेगा। संबंधित विभागों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पहले से चिन्हित पदों के अतिरिक्त, पदों की पहचान करने का अधिकार समिति को होगा। समिति द्वारा दिव्यांगजन की संबंधित पद पर कार्य करने की सुविधा/उपयोगिता के संबंध में प्रत्येक 03 वर्ष में चिन्हांकित पदों का पुनः परीक्षण किया जायेगा। समिति दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों को दिव्यांगता की समस्त अथवा एक से अधिक श्रेणी के लिए चिन्हित कर सकती है, जिसमें राज्य में दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर विचार किया जायेगा।

4.दिव्यांगजन आरक्षण से मुक्त रखा जानाः–

यदि किसी विभाग द्वारा किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगजन आरक्षण से अंशतः अथवा पूर्णतः मुक्त रखा जाना आवश्यक समझा जाय तो संबंधित विभाग यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष

Scanned by CamScanner

अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए, समिति की संस्तुति मा० मुख्यमंत्री जी के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

5.दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद के समूह एवं ग्रेड के संबंध में:–

दिव्यांगता हेतु चिन्हित किसी पद के वेतनमान अथवा एक समूह (ग्रेड) से दूसरे समूह (ग्रेड) में परिवर्तित होने पर भी उस पद चिन्हांकन बना रहेगा।

6.अनारक्षित पदों पर नियुक्ति:–

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है। इस तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

7.योग्यता के आधार चयनित उम्मीदवारों का समायोजन:–

मानदण्डों में शिथिलीकरण के बिना, योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के साथ सीधी भर्ती से चयनित दिव्यांगताग्रस्त व्यक्ति का समायोजन आरक्षित रिक्ति के सापेक्ष नहीं किया जायेगा। आरक्षित रिक्तियाँ ऐसे दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी जो अन्यथा शिथिलीकृत मानदण्डों में चयन हेतु उपयुक्त हों।

8.दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी:–

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सरकार द्वारा गठित राज्य मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। मेडिकल में बोर्ड में कम से कम तीन सदस्य हाने आवश्यक हैं, जिनमें से कम से कम एक सदस्य यथा चलन प्रक्रिया संबंधी दिव्यांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण ह्रास/आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए।

9.मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की वैधता:–

मेडिकल बोर्ड समुचित जाँच–पड़ताल के पश्चात स्थायी दिव्यांगता के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन संभावना न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र जारी करने की वैधता अवधि इंगित करेगा, जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक को सुनने का समुचित अवसर दिया जायेगा तथा मेडिकल बोर्ड आवेदक के अभ्यावेदन पर समस्त परिस्थितिजन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों की समीक्षा कर अपने विवेकानुसार आदेश पारित कर सकेगा।

10.सीधी भर्ती में आरक्षण की गणना:–

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के मामले में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु यद्यपि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती उनके लिए उपयुक्त चिन्हित पदों पर ही की जायेगी तथापि क्षैतिज आरक्षण की गणना समूह "ख", "ग" एवं "घ" (यदि समूह "घ" का पद मृत संवर्ग से बाहर हो) रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी।

11.पदोन्नति में आरक्षण की गणना:–

राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों पर पदोन्नति हेतु संबंधित अधिष्ठान में समूह "ख" "ग" एवं "घ" से सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत उपयुक्त चिन्हित एवं भरे गये पदों के आधार पर गणना की जायेगी एवं यथासंभव जहाँ आवश्यक समझा जाय, वहाँ पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा। चूँकि वर्तमान में राज्यान्तर्गत किसी भी श्रेणी को पदोन्नति में आरक्षण अनुमन्य नहीं है, अतः दिव्यांगजनों की पदोन्नति हेतु उपयुक्त चिन्हित पदों पर नियम 13 में उल्लिखित रोस्टर के अनुसार गणना की जायेगी।

12.दिव्यांग आरक्षण हेतु रोस्टर का रखरखाव:–

(क). राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों का उपयुक्त चिन्हित पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती हेतु समूह "ख", "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर

Scanned by CamScanner

संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक-पृथक रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ख).नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार रोस्टर में 100 बिन्दुओं को चार खण्डों में विभाजित किया जायेगा:-

(क)	अन्धता और निम्न दृष्यता	रोस्टर क्रमांक 25
(ख)	बधिर और कम सुनाई देना	रोस्टर क्रमांक 50
(ग)	चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	रोस्टर क्रमांक 75
(घ)	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग। या उपरोक्त से क से घ के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यागंता, जिसके अन्तर्गत बधिर-अंधता, जैसी भी स्थिति हो,	रोस्टर क्रमांक 100

परन्तु यदि किसी प्रखण्ड में चिन्हित दिव्यांगता की श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी एक बार के लिए अगली श्रेणी की दिव्यांगता से रिक्ति को भरा जा सकेगा। ऐसी भरी गयी रिक्ति का समायोजन अगले चयन वर्ष अथवा चयन वर्षों में कर लिया जायेगा। यदि दिव्यांग आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी रिक्ति को अन्य सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकता है किन्तु अगले चयन वर्ष में पुनः दिव्यांग अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार सतत् प्रक्रिया जारी रहेगी।

13.सेवाकाल में दिव्यांग हुए कार्मिकों हेतु आरक्षण:-

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत सेवाकाल में दिव्यांग हुए कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पश्चात् राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा किन्तु ऐसा आरक्षण उन्हीं पदों पर लागू होगा, जो दिव्यांगता हेतु चिन्हित हों।

14. आयु सीमा में छूट:-

राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शासनादेश संख्या-1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21.5.2005 के अनुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी, भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं।बशर्ते कि पद दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

15. उपयुक्तता मानदण्डों में छूट:-

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार उपयुक्तता के निर्धारित मानदण्डों में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य होगी।

16. स्वास्थ्य परीक्षा:-

दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

17. परीक्षा शुल्क व आवेदन शुल्क से छूट:-

राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विहित आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट उन्हीं दिव्यांगजनों को उपलब्ध होगी, जो अन्यथा

Scanned by CamScanner

आवेदित पद पर चयन हेतु [illegible] के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

18. रिक्तियों हेतु नोटिसः–

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों का रोजगार केन्द्रों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि को नोटिस/विज्ञप्ति प्रकाशित करते समय निम्न तथ्यों का संज्ञान लिया जायः–

1.सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित पदों की विज्ञप्ति निर्गत करते समय (a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता) (b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना) (c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है) (d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग) (e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है) आदि हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शायी जाय, जैसा कि समय–समय पर श्रेणीवार उपयुक्त चिन्हित किया गया हो।

2. दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों पर चयन हेतु दिव्यांगता का मानक वही होगा, भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्राविधानित है।

19. मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्रः–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पद पर चयन हेतु मांगपत्र प्रेषित कर समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगाः–

"प्रमाणित किया जाता है कि इस माँगपत्र को भेजते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित सुसंगत प्राविधानों का पालन किया गया है तथा दिशा–निर्देश के प्रस्तर 13 में उल्लिखित रोस्टर चक्र का पालन किया गया है।"

20. दिव्यागंता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्टः–

क. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की माह जनवरी में विभागवार एवं पदवार प्रत्येक दिव्यागंता हेतु चिन्हित पदों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसमें पदों की कुल संख्या, उनके विरूद्ध कार्यरत कार्मिकों की संख्या तथा रिक्तियों की वास्तविक संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेगी। किसी विभाग विशेष में रिक्ति की उपलब्धता के दृष्टिगत संबंधित प्रशासकीय विभाग को सूचित किया जायेगा और प्रशासकीय विभाग द्वारा अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संविधिक, अर्द्ध सरकारी, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के संदर्भ में इस आशय की सूचना का विवरण सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

ग. समाज कल्याण विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया समेकित विवरण कार्मिक विभाग को भी प्रेषित किया जायेगा।

21. विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारीः–

प्रत्येक प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो विभाग में होने वाले चयनों में विज्ञप्ति प्रकाशित होने/चयन समिति द्वारा विचार करने से पूर्व निगरानी/पर्यवेक्षण करेगा।

Scanned by CamScanner

2 (v) विकलांगताओं की परिभाषा:— (a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता) (b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना) (c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है) (d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग) (e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (a से d के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है) आदि दिव्यांगताओं की परिभाषाएं भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-232 (1) /XXX(2)/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या–[illegible]–30(05)2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

2–मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ/ पौड़ी/ नैनीताल,
उत्तराखण्ड।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

4–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 14 जून, 2018

विषय– राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों को समूह क, ख, ग तथा घ के पदों में पदोन्नति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संबंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी रोस्टर के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–1873/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। सम्प्रति भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष–2016) प्रख्यापित किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष–2016) की धारा 34(1) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् है:–

Every appropriate Government shall appoint in every Government establishment not less than <u>four percent</u> of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent, each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and one percent , for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely;-

(a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता)

(b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना)

(c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है)

(d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)

(e). multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है।

...में पद पूर्व से चिन्हित हैं। अतः उक्त श्रेणियों में अनुमन्यता के आधार पर प्रोन्नति ...
...जाती है। उक्त के अतिरिक्त (d) autism, intellectual disability, specific learning disability ... mental illness (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग),(e) ... multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the ... identified for each disabilities, [(a) से (d) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है)"], हेतु अनुमन्य शेष 01 प्रतिशत प्रोन्नति के पदों पर पदोन्नतियाँ, इस हेतु पदों के चिन्हांकन व इन पदों पर नियुक्तियों के उपरांत यथासमय यथास्थिति की जायेगी।

4. कार्मिक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों हेतु पूर्व में चिन्हित किये गये सीधी भर्ती चिन्हित पदों के सापेक्ष लाभान्वित कार्मिकों को भविष्य में भी प्रोन्नति का अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होता रहेगा।

5. अतः इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है उक्तानुसार पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण संदर्भ में "निर्देश–चिन्ह दिव्यांगजन" हेतु चिन्हित पदों के लिए अनुमन्य होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या (1) /XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव

संख्या- /XXX(2)/17/30(5)/2014-T(

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 27 अक्टूबर, 201

विषयः- राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1144/कार्मिक-2-2001-53(1)2001 दिनांक 18.7.2001 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में विकलांग (परिवर्तित नाम दिव्यांगों) को 03 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-196/XVII-2/2011-29 (स०क०)/2003 दिनांक 25 03.2011 के द्वारा पदों का चिन्हांकन किया गया है। शासनादेश संख्या-1673/XXX (2)/2010 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा विकलांगों (परिवर्तित नाम दिव्यागों) को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संबंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी रोस्टर के क्रियान्वयन इत्यादि बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं दिनांक 26.04.2008 को तद्नुसार प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों में लागू किया गया है।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-49 वर्ष, 2016) की धारा 34की उपधारा (1) में सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के आरक्षण के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की गयी हैः-

"Every appropriate Government shall appoint in every Government establishment not less than **four percent** of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent, each shall be reserved for persons with benchmark disabilties under clauses (a), (b) and (c) and one percent, for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:-

(a) blindness and low vision (अंधता और निम्न दृश्यता)।

(b) deaf and hard of hearing (बधिर और कम सुनाई देना)।

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है।)

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।)

(e) multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilitie. (स्तम्भ (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर-अंधता है।)"

3. इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि दिव्यागजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या--49 व 2016) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल, उत्तराखण्ड की राज्याधीन सेवा में उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगों को अनुमन्य 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, उक्तानुसार "निर्देश–चिह्न दिव्यांगजन" को अनुमन्य किये जाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 312 (1) /XXX(2)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त कुमाँऊ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या– 128041 /ई–पत्रा0:– 27259 / XIII-1/2023–3(05)2018

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चौबटिया–रानीखेत।
3. निदेशक, रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 06 जून, 2023

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–48, दिनांक–05.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन किये जाने के संबंध में उक्त पत्र में उल्लिखित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अतः इस संबंध में उक्त पत्र दिनांक–05.06.2023 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हैं, के संबंध में अपने स्तर से संबंधित आयोग को उक्त वर्णित पत्र में किये गये प्रावधानानुसार दिव्यांगजनों के पदों का चिन्हांकन कर अधियाचन प्रेषित करने तथा शासन स्तर से प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों का प्रस्ताव भी चिन्हांकन कर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Narendra Singh Rawat
Date: 06-06-2023 15:47:10

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by CHAMPA KORANGA, RO-Agriculture Section I-CK, REVIEW OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 06/06/2023 C

जारी
05/06/23

संख्या– 48 /XVII-A-3/2023–01(11)/वि०क०/2017

प्रेषक,

एल० फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमांयू ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–03 देहरादून, दिनांक 5 जून, 2023

विषय– उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन।

महोदय,

दिव्यांगजनों के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (The Right Of Persons With Disabilities ACT, 2016) लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा–33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–112/XXX-2/2018-30(05)/2014 दिनांक 14 जून, 2018 द्वारा दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में 4 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक–एक प्रतिशत खण्ड (क) (ख) एवं (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) एवं (ङ) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है :–

(क) दृष्टिहीनता और निम्न दृष्यता।

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास।

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसीड हमले से पीडित और मांसपेशीय दुष्पोषण।

(घ) स्वपरायणता (Autism), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता।

क्रमशः........

(ङ) उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3. उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की नियमावली-2016 की धारा 33 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2019 के नियम 10(1) के प्राविधानानुसार गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के क्रम में पदों के चिन्हांकन के निमित्त पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, संलग्न सूची के अनुसार विभागवार एवं पदवार पदों के पुर्नचिन्हाकन का निर्णय लिया गया है।

4. संलग्न सूची में चिन्हांकित पदों के अतिरिक्त समस्त विभागों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के शेष सभी पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-34 के परन्तुक के अन्तर्गत दिव्यांगजन के आरक्षण से उन्मोचित समझे जायेंगे।

5. दिव्यांगजनों के लिए संलग्न सूची में विभागवार चिन्हांकित पदों के अनुसार नियुक्ति सुनिश्चित की जाये। यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।

6. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

05/6/23

(एल० फैनई)

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-48 /XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि- संलग्न सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

(सुरेश चन्द्र जोशी)

अपर सचिव।

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2019 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु पदों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा:-

विभाग की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम
1	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	35	राज्य संपत्ति विभाग
2	आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग	36	लघु सिंचाई विभाग
3	आबकारी विभाग	37	लोक निर्माण विभाग
4	आयुष विभाग	38	वन विभाग
5	आवास विभाग	39	वित्त विभाग
6	औद्योगिक विकास विभाग	40	सचिवालय प्रशासन विभाग
7	उच्च शिक्षा विभाग	41	समाज कल्याण विभाग
8	उद्यान एवं रेशम विभाग	42	सहकारिता विभाग
9	ऊर्जा विभाग	43	सामान्य प्रशासन विभाग
10	कार्मिक विभाग	44	सिंचाई विभाग
11	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	45	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग
12	कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग	46	संस्कृत शिक्षा विभाग
13	खेल विभाग	47	सूचना विभाग
14	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	48	सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
15	ग्राम्य विकास विभाग	49	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
16	ग्रामीण निर्माण विभाग	50	शहरी विकास विभाग
17	गृह विभाग	51	श्रम विभाग
18	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग	52	
19	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	53	
20	जलागम विभाग	54	
21	न्याय विभाग	55	
22	नियोजन विभाग	56	
23	निर्वाचन विभाग	57	
24	पंचायतीराज विभाग	58	
25	पशुपालन विभाग	59	
26	पर्यटन विभाग	60	
27	पेयजल विभाग	61	
28	परिवहन विभाग	62	
29	प्राविधिक शिक्षा विभाग	63	
30	बेसिक शिक्षा विभाग	64	
31	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	65	
32	माध्यमिक शिक्षा विभाग	66	
33	युवा कल्याण विभाग	67	
34	राजस्व विभाग	68	

CATEGORY ABBREVIATION USED
वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ

S.No.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	B.	बी0	Blind	दृष्टिहीनता
2	L.V./P.B.	एल0वी0/पी0बी0	Low Vision/Partially Blind	कमदृष्टि/आंशिक दृष्टिहीन
3	D	डी0	Deaf	बधिर
4	H.H./P.D.	एच0एच0/पी0डी0	Hard of Hearing/Partially deaf	श्रवण शक्ति में हास/आंशिक बधिर
5	O.A.	ओ0ए0	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Attaxie	एक हाथ प्रभावित (1) पैरों पर खड़े होने में असमर्थता (2) पकड़ने में असमर्थता (3) स्नायु दुर्बलता
6	O.L.	ओ0एल0	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
7	B.A.	बी0ए0	Both Arms Affected (1) Inpaird (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभावित (1) हासित (2) कमजोर पकड़
8	B.L.	बी0एल0	Both Legs Affected	दोनों पैर प्रभावित
9	B.L.A.	बी0एल0ए0	Both Legs and both arm affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
10	B.H.	बी0एच0	Stiffback and hips (cannot sit or stoop)	स्टिफ बैक एण्ड हिप्स(बैठ नहीं सकते)
11	O.A.L.	ओ0ए0एल0	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित
12	C.P.	सी0पी0	Cerebral Palsy	प्रमस्तिष्क घात
13	L.C.	एल0सी0	Leprosy Cured	रोगमुक्त कुष्ठ
14	Dw.	डीडब्ल्यू0	Dwarfism	बौनापन
15	A.A.V./A.V.	ए0ए0वी0/ए0वी0	Acid Attack Victims/Acid Victims	एसिड आक्रमण पीड़ित/एसिड पीड़ित
16	A.S.D.	ए0एस0डी0	Autism Spectrum Disorder	स्वपरायणता
17	S.L.D.	एस0एल0डी0	Specific Learning Disability	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता
18	I.D.	आई0डी0	Intellectual Disability	बौद्धिक दिव्यांगता
19	M.Dy./M.W.	एम0डीवाई0/एम0डब्ल्यू	Muscular Dystrophy/Muscular weakness and limited physical	पेशीय दुष्पोषण/मांसपेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति
20	M.I.	एम0आई0	Mental Illness	मानसिक अस्वस्थता
21	M.D.	एम0डी0	Multiple Disabilities	बहु दिव्यांगता
22	Th.	टीएच0	Thalassaemia	थैलेसीमिया
23	Hp.	एचपी0	Hemophilia	हीमोफीलिया

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

12.	कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग	(क)	1- संयुक्त कृषि निदेशक	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			2- उप कृषि निदेशक	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
		(ख)	1- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			2-सहायक निदेशक(विकास/अभियंत्रण/रसायन/वनस्पति/साँख्यिकी/विपणन शाखा)	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			3- केन्द्राध्यक्ष रा.भू.सं.प्र.के.	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			4- कृषि रक्षा अधिकारी	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
		(ग)	1- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 2- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 3- प्रधान सहायक 4- वरिष्ठ सहायक 5- कनिष्ठ सहायक	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0/पी0डी0, डी0, एल0वी0/पी0बी0, बी0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0,एम0डीवाई0/एम0डब्ल्यू0, बी0एल0, टीएच0, एचपी0
			6- कनिष्ठ अभियन्ता	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			7- मानचित्रक	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			8- वरिष्ठ मानचित्रक	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			9- अनुरेखक	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			10-वैयक्तिक सहायक 11- वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 12- वैयक्तिक अधिकारी 13- वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी 14- मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0/पी0डी0, डी0, एल0वी0/पी0बी0, बी0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0,एम0डीवाई0/एम0डब्ल्यू0, बी0एल0, टीएच0, एचपी0
			15- सहायक लेखाकार	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			16- लेखाकार	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			17- अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1	एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, एल0वी0/पी0बी0, डी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0
			18- सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2	एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, एल0वी0/पी0बी0, डी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0
			19- डाटा एंट्री ऑपरेटर	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0/पी0डी0, डी0, एल0वी0/पी0बी0, बी0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0,एम0डीवाई0/एम0डब्ल्यू0, बी0एल0, टीएच0, एचपी0
			20- राजस्व निरीक्षक	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			21- प्राविधिक सहायक	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			22- सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1(विकास/रसायन शाखा)	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			23- सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2(विकास/रसायन शाखा)	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0
			24- सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3	एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, टीएच0, एचपी0